न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारी:– ज्योत्सना खेड़ा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
34 / 2025	09.06.2025	01.09.2025

1. रामदयाल पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा निवासी पिपेलट तहसील खण्डार जिला स0मा0।

प्रार्थी

बनाम

1. बंशी पुत्र ऊकार
2. प्रभु पुत्र ऊकार
3. रामसुखा पुत्र घीस्या
4. रामा पुत्र घीस्या
5. भीमराज पुत्र भोला
6. रामनारायण पुत्र भोला
7. रामजीलाल पुत्र भोला
8. धनपाल पुत्र भोला
9. गुलाब पुत्र भोला
10. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील खण्डार।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

श्री नागाराम मीना वकील प्रार्थी की ओर से

श्री त्रिलोक चन्द वकील अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स. मा.) सत्यमेव जयते

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेंश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

- प्रार्थी ग्राम पीपलेट का निवासी है तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 भी पीपलट के निवासी है। अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार खण्डार है जो लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया है।
- प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 एक ही परिवार के सदस्य भाई बन्ध है जिससे प्रार्थी अकेला व्यक्ति व सीधा साधा गरीब आदमी है अप्रार्थी 1 लगायत 10 थोकबन्द बदमाश प्रवृत्ति के सदस्य है जो कि प्रार्थी को परेशान करते रहते है तथा प्रार्थी के हिस्से की जमीन को छीनने पर आमादा है।
- यह कि प्रार्थी के व अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 के सयुंक्त खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 406/2 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा जमीन जो कि गाँव के पास है बांके ग्राम पिपलेट में स्थित है जिससे प्रार्थी का 1/3 भाग तथा अप्रार्थी 3 व 4 का 1/6, 1/6 भाग अप्रार्थी संख्या 2 का 1/9 भाग तथा अप्रार्थी का 1/9 अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 का 1/9 भाग है। जिसका सभी ने मौके पर वाहमी बंटवारा कर रखा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.18 13:44:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

है। तथा अपने अपने हिस्सो पर हिस्सानुसार कविज़ है। तथा खसरा नम्बर 600/358 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा पर भी हिस्सा 1/3 पर प्रार्थी काबिज है।

- प्रार्थी अपने हिस्से की खातेदारी भूमि 1/3 भाग पर कास्त करता चला आ रहा है किन्तु अब वर्तमान समय में आबादी के पास व रोड के नजदीक की जमीनो की किमत पर जाने से अप्रार्थीगण के मन में बदयन्ती उत्पन्न हो गई और प्रार्थी के हिस्से को मिलकर छीनने को आमादा है।
- दिनांक 20.05.2025 को प्रार्थी अपनी जमीन की देखभाल कर मेड़ो की सफाई करने गया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने आकर प्रार्थी को खेत में घुसने से मना कर दिया तथा कहने लगा कि यहाँ तेरा कुछ भी नही हैं यहाँ मैं मकान बनाऊगा प्रार्थी ने अप्रार्थी को समझाने का प्रयास किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने अन्य सभी अप्रार्थीगण लव लेकर बुला लिया तथा सभी अप्रार्थी कहने लगे कि तेरा यहॉ क्या है। यहाँ हम मकान बनायेगे तथा प्रार्थी के हिस्से पर सभी एक राय होकर अप्रार्थी संख्या 1 के द्ववारा मकान बनाने हेतु नींव खुदवाने पर आमादा हो गयें जिसका की अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है । तथा अप्रार्थीगण द्वारा धमकी दी गई कि हमें मकान बनाकर रहेगें।
- प्रार्थी अकेला आदमी है तथा अप्रार्थीगण बहुसंख्या में है। प्रार्थी इनका सामना नहीं कर सकता इसलिए अपनी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ न्यायालय की शरण लेकर अप्राथीगण को मकान बनाने से रोकने के लिए व अपनी जमीन का विभाजन करवाने के अतिरिक्ति कोई विकल्प शेष ने हाने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमि आया चुकि अप्रार्थीगण लठैत व्यक्ति है तथा प्रार्थी अकेला है इसलिए यह प्रार्थना पत्र मय दावा पेश किया जा रहा है।
- दिनांक 20.05.2025 को मना करने सफाई व प्रयास करने नींव खोदने के दिनांक से हर हदूर वाला उत्पन्न हुआ इसलिए दावा अन्दर अवधि पेश है।
- प्रार्थना पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त हैं ।
- प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुख सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है।
- अतः सेवामें प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी के हिस्से की कास्त मे कोई व्यवधान पैदा नही करें तथा उक्त विवादित आराजीयात को कही अन्यंत्र बेचान नही करे। तथा किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
खण्डार (स० मा०)

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया।
3. अप्रार्थीगणों की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र के सभी बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया ओर विशेष विवरण में अंकित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.18 13:44:37 IST
Reason: SelfAttested

- उनवानी प्रकरण प्रार्थी द्वारा सत्य तथ्यों को छिपाकर अप्रार्थी [illegible] करने की नियत से न्यायालय को गुमराह कर कार्यवाही करवाने [illegible] पेश कर एक पक्षिय स्टे ले लिया है।
- प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक लगायत नौ की संयुक्त आराजीयात खसरा नम्बर 406/2 रकबा 1.13 विघा बांके ग्राम पिपलेट में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/3 था

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

परन्तु प्रार्थी के पिता प्रहलाद ने दिनांक 16.04.2005 को उक्त खसरा नम्बर 406 / 2 में अपने हिस्से 1/3 का हक त्याग जरिये हक त्याग पत्र के अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 व 5 लगायत 9 के पिता भोला के पक्ष में करवा कर उक्त आराजी के अपने हिस्से पर कब्जा अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 को सम्भला दिया । तब से अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 प्रार्थी के हिस्से 1/3 को काश्त करते चले आ रहे है तथा अप्रार्थीगण 1 लगातय 2 व 5 लगायत 9 ने प्रार्थी से कही बार कहा कि तुम के.सी. सी. का ऋण जमा करवा दो जिससे उक्त आराजीयात का नामान्तकरण हमारे नाम खुल जावेगा परन्तु प्रार्थी व प्रार्थी का पिता आश्वासन देता है कि हमारी माली हालत है जैसे हमारे पास पैसे आयेगे तभी के.सी.सी. जमा करवाकर उक्त भूमि को रहन मुक्त करवा देगे जिससे तुम्हारे नाम नामान्तकरण खुल जायेगा और वैसे भी मौके पर तुम अप्रार्थीगणों का ही कब्जा काश्त है।

- यह कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के विश्वास में आ गयें और इसी दौरान प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो गई और प्रार्थी ने अपने हिस्से को दिनांक 23.07.2021 को चोरी छिपे अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 व 5 लगायत 9 को बिना बताए रहन मुक्त करवा कर उक्त आराजीयात को अपने व अपनी बहनों के नाम करवा लिया तथा बहनों से हक त्याग करवाकर सम्पूर्ण हिस्से 1/3 को अपने नाम करवा लिया और अप्रार्थीगण से छीनने की नियत से चालाकी कर अनपढ़ अप्रार्थीगणों से पैसे बनाने के लिए मनमढ़त विवाद बता कर न्यायालय को गलत तथ्यों का हवाला देकर श्रीमान् न्यायालय दावा व प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो निराधार व असत्य है।

- यह कि खसरा नम्बर 600 / 358 रकबा 1.18 विघा भी बांके ग्राम पिपलेट में स्थित है। जिसमें भी प्रार्थी की 1 / 3 हिस्से की खातेदारी है जिसको प्रार्थी के पिता प्रहलाद ने आज से करीब 30-40 वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 बंशी पुत्र उंकार, कैलाश पुत्र बंशी, हनुमान पुत्र बंशी, रामनारायण पुत्र मोज्या, रामहरी पुत्र गंगाधर, भीमराज पुत्र भोला को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य लोग अपने अपने पुख्ता मकान बना कर निवास कर रहे है। तथा अप्रार्थी संख्या 1- 30 वर्षो से प्रार्थी के चाचा रामा का हिस्सा 1/3 व रामसुखा का हिस्सा 1/3 को काश्त करता चला आ रहा है जिसमें प्रार्थी का कोई लेना देना नही है। प्रार्थी को उक्त आराजीयात का हिस्सा 1/3 को प्रार्थी का पिता अप्रार्थी संख्या 1 व उक्त लोगो को विक्रय कर कब्जा सम्भला चुका है और उक्त सभी क्रेतागण प्रार्थी के हिस्से में पुख्ता मकानो का निर्माण कर लगभग 40 वर्षो से निवास कर रहे है इसलिए खसरा नम्बर 600/358 में प्रार्थी के हिस्से में अप्रार्थीगणों कोई लेना देना नही है । अप्रार्थीगण 2 लगायत 9 ना तो प्रार्थी के हिस्से को काश्त कर रहे है ना ही प्रार्थी के हिस्से में मकान निर्माण कर रहे है ।

- खसरा नम्बर 406 / 2 रकबा 1.13 विघा में अपने हिस्से 1/3 को प्रार्थी के पिता द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में हक त्याग कर कब्जा सम्भला उक्त खसरा नम्बर 406/2 सम्पूर्ण 1.13 विस्वा अप्रार्थीगण का होने से खसरा नम्बर 600/358 रकबा 1.18 विघा मे अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थी के चाचा रामा व रामसुखा के हिस्से 1/3, 1/3 पर कब्जा काश्त होने व प्रार्थीगण के हिस्से 1/3 पर कब्जा काश्त ना होने से प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में है । तथा उक्त आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त प्रार्थी के चाचा रामा व रामसुखा के हिस्से व प्रार्थी के हिस्से पर कब्जा काश्त नही होने से सुख सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष मे है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.18 13:44:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (स० मा०)

के हिस्से पर होने के उपरान्त भी उनके खातेदारी कब्जे काश्त से वंचित किया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्णनीय क्षति होगी इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के सभी बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जो कि निराधार गलत तथ्यो को अंकित कर पेश किया हैं उसे सव्यय खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

- अतः सेवामें जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सव्यय खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

4. प्रार्थी वकील द्वारा पत्रावली में अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का दोहरान करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 ग्राम पिपलेट के निवासी है और एक ही परिवार के सदस्य भाई बन्ध है जिससे प्रार्थी अकेला व्यक्ति व सीधा साधा गरीब आदमी है अप्रार्थी 1 लगायत 10 थोकबन्द बदमाश प्रवृत्ति के सदस्य है जो कि प्रार्थी को परेशान करते रहते है तथा प्रार्थी के हिस्से की जमीन को छीनने पर आमादा है। प्रार्थी के व अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 के संयुक्त खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 406/2 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा जमीन जो कि गाँव के समीप है जो ग्राम पिपलेट में स्थित है जिसका प्रार्थी का 1/3 भाग का हिस्सेदार काश्तकार खातेदार है तथा अन्य हिस्से पर अप्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार खातेदार है। प्रार्थन पत्र के मद संख्या 03 में खुलासा कर रखा है। तथा खसरा नम्बर 600/358 रकबा 1–18 बीघा मे भी प्रार्थी 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार है। जिस पर प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। किन्तु अब जमीनों की किमत बढ़ जाने व गांव व रोड़ के सहारे होने से अप्रार्थीगण के मन मे बंदयान्ती आ जाने से प्रार्थी के हिस्सो को अप्रार्थी छिनना चाहते है। जिसके लिए दिनांक 20.05.2025 को प्रार्थी अपनी जमीन की देखभाल कर मेड़ो की सफाई करने गया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने आकर प्रार्थी को खेत में घुसने से मना कर दिया तथा कहने लगा कि यहाँ तेरा कुछ भी नही हैं यहाँ मैं मकान बनाऊगा प्रार्थी ने अप्रार्थी को समझाने का प्रयास किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने अन्य सभी अप्रार्थीगण लव लेकर बुला लिया तथा सभी अप्रार्थी कहने लगे कि तेरा यहॉ क्या है। यहाँ हम मकान बनायेगे। जिस पर प्रार्थी ने समझाने की कोशिश की तो अप्रार्थी संख्या 1 ने सभी अन्य अप्रार्थीगण को लठ्ठ लेकर बुला लिया तब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह वादपत्र के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जो आज तक कायम है। क्योकि कोई भी व्यक्ति किसी के अधिकार नहीं छीन सकता है। माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के लिए तीन बिन्दु तय करने है जो निम्न है।

प्रथम दृष्टया मामलाः– प्रार्थी उक्त विवादित खसरा नम्बरों 406/2 व 600/358 का रिर्कोडेड खातेदार है। प्रार्थी का दोनो ही खसरा नम्बर पर 1/3 –1/3 हिस्सा है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

सुख सुविधा का सन्तुलनः– जब प्रथम दृष्ट[illegible] प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है क्योकि प्रार्थी खातेदार है तथा किसी भी खातेदार को कोई भ[illegible] सके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है इसलिए मामला तय करने में सुविधा प्रार्थी [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.18 13:44:37 IST
Reason: SelfAttested

अपूर्णनीय क्षति का बिन्दुः– यदि प्रार्थी को खातेदारी से [illegible] जाता है तो उसकी मुद्रा से पूर्ति नहीं की जा सकती है तथा यदि न्यायालय ने एक [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गई तो वही न्यायालय उसे खत्म नहीं कर सकता इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार की बाधा प्रार्थी के हिस्से पर नहीं

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
(स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

करें किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें क्योंकि अप्रार्थी उक्त आराजी पर बिना परमिशन होटल बनाने पर आमदा है जबकि किसीभी तरह से जमीन का बिना इजाजत रूपान्तरण नहीं किया जा सकता है।

5. अप्रार्थीगण वकील द्वारा पत्रावली में अपने द्वारा प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र का दोहरान करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार एवं गलत तथ्यों पर पेश किया है तथा वास्तविकता को छिपाकर पेश किया है क्योकि प्रार्थी खसरा नं. 406/2 रकबा 1.13 बिघा जो वाके ग्राम पिपलेट में स्थित है भूमि का प्रार्थी का पिता प्रहलाद, रामा, रामसुखा अपने हिस्सों का हकत्याग अप्रार्थीगण के नाम वर्ष 2005 मे ही करवा कर अप्रार्थीगणो को कब्जा सम्भला चुके है तथा जिनके उधार पर रा व रामसुखा के हकत्याग का नामान्तकरण अप्रार्थीगणो के नाम खुल गया है। परन्तु प्रार्थी के पिता प्रहलाद का हिस्सा बैक मे रहन होने से अप्रार्थीगणो के नाम नामान्तकरण नही खुला अप्रार्थीगणो ने प्रार्थी व प्रार्थी के पिता प्रहलाद से उक्त भूमि को रहन मुक्त करवाने बाबत कही वार कहा परन्तु प्रार्थी व प्रार्थी के पिता ने अपनी माली हालत बताकर समय निकालता रहा और उसी दौरान प्रार्थी के पिता प्रहलाद की मृत्यु हो गई तो प्रार्थी ने चालाकी कर अप्रार्थीगणो से छल करने की नियत से उक्त भूमि को 2021 मे रहन मुक्त करवा कर अपने नाम करवा लिया तथा चोरी छिपे से पुनः रहन करवा दिया। जिससे अप्रार्थीगणो के नाम नामन्तकरण आज भी नही खुल पाया है ओर अप्रार्थीगणो ने कुछ हिस्से पर कुछ अप्रार्थीगणो ने हकत्याग के समय कब्जा लिया उसी समय मकान बना लिये है। और कास्त कर रहे है। जबकि प्रार्थी का उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 406/2 रकबा 1. 13 बीघा से प्रार्थी का अब कोई लेना देना नही है। खसरा नम्बर 600/358 रकबा 1.18 बीघा भूमि भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम 1/3–1/3 हिस्सा है परन्तु उक्त आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से को प्रार्थी के पिता प्रहलाद ने अप्रार्थी सख्या 3 व 4 से बटंबारा करवा कर आज से करीब 30–40 वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 बंशी पुत्र उकार , कैलाश पुत्र बंशी, हनुमान पुत्र बंशी, रामनारायण पुत्र मोज्या, रामहरी पुत्र गंगाधर, भीमराज पुत्र भोला को विक्रय कर कब्जा सम्भलवा दिया और सभी कृताओ ने उक्त कृषि पर पुख्ता मकान बना लिए है तथा 30–40 वर्षो से निवास कर रहे है इसलिए प्रार्थी का खसरा नम्बर 600/358 में प्रार्थी कोई लेना देना नही है तथा शेष हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का है जिसमे अप्रार्थी अपने रहने हेतु मकान बना रहा है और शेष को अप्रार्थीगण कास्त कर रहे है खसरा नम्बर 406/2 का हकत्याग पक्ष व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बिल्कुल मौके की व रिपोर्ट की स्थिति स्पष्ट है कि प्रार्थी का उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में कोई हिस्सा नही है तथा हक त्याग द्वारा नामान्तकरण नही खुलने से प्रार्थी ने जमाबन्दी मे अपने नाम का अंकन होने के आधार पर गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो बिलकुल गलत है जिससे प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला बिलकुल सात्विक नही है तथा ना ही सुख सुविधा का संतुलन प्रभावित है क्योकि जिस खातेदार ने वर्ष 2005 मे ही अपने हिस्से का हकत्याग अप्रार्थीगणो के नाम करवा कर उक्त आराजीयात का कब्जा अप्रार्थीगणो को सम्भला दिया है तो सुख सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगणो के पक्ष मे बखुबी [illegible] तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी को नही है क्योकि उस आराजीयात अप्रार्थीगणो [illegible] है [illegible] अप्रार्थीगणो के कब्जे व अधिकार मे है इसलिए अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थीगणो के पक्ष मे साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जो गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है जो सम्भव खारीज फरमाये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.18 13:44:37 IST
Reason: SelfAttested

6. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया, बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली में संलग्न मौजूदा ग्राम पिपलेट की जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 खसरा

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

नम्बर 406/2 रकबा 1–13 बीघा का अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजीयात है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है। वकील अप्रार्थीगणों के द्वारा दौरान बहस दिखाये गये हकत्याग पत्र दिनांक 16.04.2005 में प्रहलाद, रामा, रामसुखा पुत्र घीस्या के द्वारा भोला, बंशी, प्रभु पिता उंकार के नाम आराजी खसरा नम्बर 406/2 रकबा 1–13 बीघा भूमि से हिस्से 1/2 की भूमि का हक त्याग होना अंकित है। लेकिन दिनांक 16.04.2005 से अब तक राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगणों का नाम अमल नहीं हुआ के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। जिससे प्रतित हो सके है कि किसी कारणवश अप्रार्थीगणों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद नहीं हुआ। प्रार्थी वर्तमान जमाबन्दी अनुसार उक्त विवादित भूमि का हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुख सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। यदि वर्तमान खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझती हूँ।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगणों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 406/2 रकबा 1–13 बीघा ग्राम पिपलेट प्रार्थी की हिस्से की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें।

यह निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया ,सुनाया गया ।

(ज्योत्सना खेड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.18 13:44:37 IST
Reason: SelfAttested